पत्रांक : 11 / वि1–50 / 2013 1947
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक :

राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन' (भा०प्र०से०)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)

पटना, दिनांक : 09/12/2016

विषय : माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 924 दिनांक 09.06.16, पत्रांक 1010 दिनांक 05.07.16 एवं पत्रांक 1258 दिनांक 13.08.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के द्वारा पंचम चरण अर्न्तगत शिक्षक नियोजन के निदेश पूर्व में दिये गये थे। कुछ जिलों द्वारा कतिपय मामलों में मार्गदर्शन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक– 1706 दिनांक– 31.10.2016 द्वारा तत्काल पंचम चरण के नियोजन की कार्रवाई स्थगित की गयी थी।

संशोधित नियुक्ति नियमावली–2016 के नियम–6 के उप–नियम–5(ख) में प्रावधान है कि **"परन्तु स्नातक प्रतिष्ठा योगिताधारी / समकक्ष को विनिर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 05 अंक जोड़ा जायेगा"**। इस संदर्भ में कुछ जिलों द्वारा पृच्छा की गयी कि विनिर्दिष्ट विषय समूह समझा जाय या विनिर्दिष्ट विषय समझा जाय। इस संदर्भ में भली–भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि विनिर्दिष्ट विषयों को नियमावली में प्रावधानित विनिर्दिष्ट विषय को विषय समूह के रूप में व्याख्या करना उचित नहीं हैं और विनिर्दिष्ट विषय को विनिर्दिष्ट विषय ही समझा जाय। उदाहरण स्वरूप पूर्व में गणित विषय समूह में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रोनिकस, कम्प्यूटर विज्ञान एवं साखकी में स्नातक प्रतिष्ठाधारी को पाँच अंक दिया जाता रहा है। परंतु, अब समूह गणित विषय में गणित स्नातक प्रतिष्ठाधारी को ही पाँच अंक प्रदान किया जायेगा। भौतिकी, रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रोनिकस, कम्प्यूटर विज्ञान एवं साखकी स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी को नियमावली में प्रदत नियम के आलोक में अंक प्रदान करना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य विषय समूह में भी विषय समूह की व्याख्या न करके विनिर्दिष्ट विषय के स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी को ही पाँच अंक प्रदान किया जाय।

तद्नुसार मेघा सूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तद्नुसार नियोजन इकाई इसे संशोधित करें और उन्हें पुनः निम्नांकित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रकाशित करें।

Desktop/Ltr.07.09.16

पंचम चरण के नियोजन की प्रक्रिया निम्नांकित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय :–

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	13.12.2016
2	मेधा सूची का प्रकाशन	14.12.2016
3	मेधा सूची आपत्ति	15.12.2016 – 29.12.2016
4.1	मेधा सूची पर आपत्तियों का निकराकरण	02.01.2017
4.2	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	
5	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच	03.01.2017 – 07.01.17
6	जिला परिषद एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	09.01.2017
7	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीककरण	10.01.2017
8	जिला स्तर पर सभी नियोजन इकाई द्वारा कॉउन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करने का कार्यक्रम	प्रमंडलवार निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार

क्र०	प्रमंडल का नाम	उच्च माध्यमिक		माध्यमिक	
		नगर निकाय	जिला परिषद	नगर निकाय	जिला परिषद
		उच्च माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	माध्यमिक
1	कोशी	13.01.17	13.01.17	13.01.17	13.01.17
2	तिरहुत	16.01.17	16.01.17	16.01.17	16.01.17
3	दरभंगा	18.01.17	18.01.17	18.01.17	18.01.17
4	पूर्णिया	20.01.17	20.01.17	20.01.17	20.01.17
5	सारण	23.01.17	23.01.17	23.01.17	23.01.17
6	मगध	25.01.17	25.01.17	25.01.17	25.01.17
7	मुंगेर	27.01.17	27.01.17	27.01.17	27.01.17
8	भागलपुर	30.01.17	30.01.17	30.01.17	30.01.17
9	पटना	01.02.17	01.02.17	01.02.17	01.02.17

वैसे जिले जो विभाग से मार्गदर्शन के कारण जिलान्तर्गत नियोजन इकाई में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत संगीत, नृत्य, ललितकला एवं कम्प्यूटर अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं कर सकें है, वैसे नियोजन इकाई उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। संबंधित नियोजन इकाई के लिए यह अंतिम अवसर होगा।

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निम्नांकित निदेश के अक्षरशः अनुपालन के साथ नियोजन किया जाना आवश्यक है :–

1. जिलान्तर्गत सभी नियोजन इकाई जिला मुख्यालय में एक ही परिसर में कॉउन्सिलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व होगा की सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव से समन्वय स्थापित कर नियोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
2. नियोजन से संबंधित उक्त कार्यक्रम में निदेशालय के पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
3. अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन इकाई का दायित्व है कि विभागीय निदेश एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में शैक्षणिक एवं

प्रशैक्षणिक वैध डिग्री अर्हताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन सुनिश्चित किया जाय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षक पात्रता परीक्षा फल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का STET प्रमाण पत्र का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाय। यह नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की निजी जवाबदेही होगी। भविष्य में फर्जी चयन पाये जाने पर सदस्य सचिव पर भी इसकी जवाबदेही निर्धारित की जायेगी।

4. नियोजन इकाई द्वारा कॉउन्सिलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई में जमा कराना अनिवार्य होगा।
5. नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित वांछित सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। NIC के बेवसाइट पर सूचना प्रकाशित न होने के स्थिति में नियोजन इकाई के सदस्य सचिव इसके लिए जवाबदेह होगे।
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यह सुनिश्चित करेगें की उपरोक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन ईकाई में नियोजन की प्रक्रिया संपन्न हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य सचिव से संपर्क स्थापित कर उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु पहल करेंगे। नियोजन न होने की स्थिति में सुस्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. कॉउन्सिलिंग के दरम्यान अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र लिया जायेगा कि वे किसी अन्य नियोजन इकाई में पूर्व से नियोजित नहीं है। साथ ही उनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता का प्रमाण पत्र सही है। गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई सक्षम होगा।

विश्वासभाजन,

09/12/2016

(राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन')
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)